| हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| 14/02/23 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी के पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया गया। वाद पत्र सरसरी तौर से इस प्रकार है कि वादी द्वारा ग्राम जालीवेड़ा के खेत ख.नं. 64 रकबा 68-09 बीघा ख.नं. 92 रकबा 81-19 बीघा, ख.नं. 94 रकबा 73-09 बीघा, भूमि के प्रतिवादी सं. 1 के 1/6 हिस्से के अलावा शेष 5 हिस्से 1/36 खातेदारी के घोषित करने का कथन किया है। वर्तमान के वाद पत्र के सम्बन्ध में सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से उक्त आराजी प्रतिवादीगण की खातेदारी के हैं। प्रतिवादी सं. 1 उक्त आराजी के 1/6 हिस्से का बतौर खातेदार है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में विवादित भूमि वादी की शेष 5 हिस्से के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं है जिससे वादी के वाद पत्र के कथनों को स्वीकार किया जाना ~~[illegible]~~ प्रतीत नहीं होता है। अतः ~~[illegible]~~ खारिज किया जाता है। पत्रावली निकाल कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:49:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, गुढ़ामालानी